164

20 कोर्ट फीस Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

विविध प्रकरण क्रमांक /2019 जिला–जबलपुर

विविध-0496/2019/जबलपुर/

श्रीमती हिन्दाबाई गौड पत्नी स्व. रामदयाल गौड जाति गौड निवासी – ग्राम सिलुवा पोस्ट हुल्की थाना वरगी तहसील व जिला जबलपुर म.प्र.

...... आवेदक

विरूद्ध

1 ललित सिंह ठाकुर पुत्र श्री ओंकार सिंह निवासी– मकान नं. 2003 लक्ष्मीपुर बडी उखरी एम.आर. फोर रोड तहसील व जिला जबलपुर (म.प्र.)

2 कलेकटर जिला जबलपुर म.प्र.

...... अनावेदकगण

श्री ... द्वारा आज दि. 11.4.19 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 16.4.19 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 152 के अधीन आवेदन–पत्र।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नलिखित निवेदन है :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 1686/2017–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 30.10.2018 के विरूद्ध आवेदक द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण क्रमांक अपील 107/2019/जबलपुर/भू.रा. प्रस्तुत की गयी थी जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अन्तिम आदेश दिनांक 02.04.2019 पारित किया गया है। (आदेश की फोटो प्रति संलग्न है)
2. यहकि, ग्राम सिलुवा प.ह.न. 48 हुल्की रा.नि.म. वरगी तहसील व जिला जबलपुर में स्थित खसरा क्रमांक 242ए एवं 241/1 रकवा क्रमशः 4.720 एवं 0.32 है0 कुल रकवा 4.05 है0 का उल्लेख किया गया था। किन्तु माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.04.2019 के पेंज क्रमांक 2 की चौथी लाईन में तथा आदश्श के अंतिम पेंज 6 की दूसरी लाईन में लिपिकीय त्रुटिवश खसरा नं. 241/1 रकवा 0.32 का उल्लेख किया गया है। जबकि वास्तविक रूप से केवल खसरा क्रमांक 241ए रकवा 4.720 एकड़ अंकित किया जाना आवश्यक है।
3. यहकि, आवेदन सद्भाविक एवं न्यायिक होने से स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतएव निवेदन है कि आवेदन–पत्र स्वीकार कर आदेश में अंकित खसरा नं. 241/1 रकवा 0.32 है0 को विलोपित कर उसके स्थान पर भूमि खसरा नं. 242ए रकवा 4.720 है0 अंकित किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान किये जाये।

स्थान : ग्वालियर

दिनांक : 11.04.2019

निवेदक

श्रीमती हिन्दाबाई गौड पत्नी स्व. रामदयाल गौड जाति गौड निवासी – ग्राम सिलुवा पोस्ट हुल्की थाना वरगी तहसील व जिला जबलपुर म.प्र.

...... आवेदक

द्वारा अभिभाषक

के.के.द्विवेदी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ट

प्रकरण क्रमांक विविध 0496/2019/जबलपुर/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
23/5/19	आवेदक अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी को व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 152 के आवेदन पर सुना गया। अभिभाषक द्वारा बताया गया कि आदेश में लिपिकीय त्रुटिवश खसरा नं. 241/1 रकवा 0.32 है0 का उल्लेख किया गया है। जबकि वास्तविक रूप से खसरा नं. 242ए रकवा 4.720 है0 होना चाहिये। मेरे द्वारा अभिभाषक के तर्को एवं उनकी ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र की प्रति एवं मूल प्रकरण क्रमांक 107/2019/जबलपुर/भू.रा. पारित आदेश दिनांक 02.04.2019 का अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट है कि आदेश में ग्राम सिलुवा प.ह.न. 48 हुल्की रा.नि.म. वरगी तहसील व जिला जबलपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 242ए एवं 241/1 रकवा क्रमशः 4.720 एवं 0.32 है0 कुल रकवा 4.05 है0 का उल्लेख किया गया है। आदेश में अंकित खसरा नं. 241/1 रकवा 0.32 है0 को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर भूमि खसरा नं. 242ए रकवा 4.720 है0 पढ़ा जाये। उक्त आदेश मूल आदेश अपील/107/2019/जबलपुर/भू.रा. का अंग होगा। सदस्य	